



बिहार सरकार  
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)  
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार  
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉं मार्ग, पटना-800 014

संख्या-FC/20/2018-158

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह, भा०व०से०

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक— 09/02/2026

विषय— श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत ग्राम— धुधुआ के खाता संख्या-60, खेसरा संख्या-637, 638, अंचल-घोड़ासहन में नहर चौक-बनकटवा-घोड़ासहन पथ के HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.0060 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग— पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/32677/2018/3849 दिनांक— 05.03.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 27.01.2026 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है—

| क्र० सं०                     | भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राँची का पत्र दिनांक 05.03.2020 में निहित कंडिका   | अनुपालन   |
|------------------------------|---|---|
| <b>1. General Conditions</b> |   |   |
| 1.                           | Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.  | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।   |
| 2.                           | The State Forest Department shall plant 100 trees to maintain the green cover at the project cost. Planting site for the purpose shall be identified by the State Forest Department preferably in the vicinity of the project site. Indigenous tree species ..... | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा हरितावरण को बनाये रखने के लिए 100 वृक्षों के रोपण तथा उनके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रु० 9,18,745.00 (रु० नौ लाख अठारह हजार सात सौ पैंतालीस) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No.- 150627300, BIHAR CAMPA, Union Bank of India में दिनांक 16.01.2026 को फंड ट्रांसफर कर राशि जमा करा दी गई है, जिसका Transaction No.- IDIBR52026011649825068 है, उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है। 100 पौधों के रोपण का कार्य पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा किया जायेगा। |

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 3.  | a) The User Agency shall deposit Net Present Value (NPV) for the 0.0060 ha forest are ato be diverted .....<br>b) Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt ..... | NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.0060 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल रु० 5,747/- (पाँच हजार सात सौ सैंतालीस रुपये) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No.-150627300, BIHAR CAMPA, Union Bank of India में दिनांक 16.01.2026 को फंड ट्रांसफर कर राशि जमा करा दी गई है, जिसका Transaction No.- IDIBR52026011649825068 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है। |
| 4.  | All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal .....   | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी प्रकार की राशि RTGS के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 16.01.2026 को राशि जमा करा दी गई है (बैंक e-challan RTGS/ NEFT की विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न)।   |
| 5.  | Felling of one tree as required shoule be done under the supervision of the State Forest Department.   | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।   |
| 6.  | The FRA certificate as per Ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of final approval. The complete .....  | जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया गया है, जो इस पत्र के साथ संलग्न भेजा जा रहा है।   |
| 7.  | The approach road to petrol pump/ fuel station should be as per .....  | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।   |
| a.  | Fuel station should generally be part of rest area complex having ...  | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।   |
| b.  | Suitable signs and markings showing the location of the fuel ....  | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।   |
| c.  | Entire Periphery of the retail outlet should be lined up with .....  | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।   |
| d.  | Suitable plantations should be raised by the user agency along ....  | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।   |
| 8.  | The User Agency shall ensure that the loaboures and staff engaged in construction acitivity do not .....   | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।   |
| 9.  | The lay out plan of the proposal shall not be changed without .....  | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।   |
| 10. | The period of diversion under this approval shall be .....   | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।   |
| 11. | a) The forest land shall not be used for any purpose other than .....<br>b) The forest land under diversion shall under no circumstances be transferred to any other agencies.....   | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।   |

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 12. | Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, ..... | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। |
| 13. | Any other conditions that the Ministry of Environment, .....                                      | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।                       |
| 14. | The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)                     | प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website पर अपलोड कर दिया गया।               |

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.0060 हे० सुरक्षित वन घोषित पथ किनारे की भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति (Stage - II) निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-


(सुरेन्द्र सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),  
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- FC/20/2018- 158


दिनांक- 09/02/2026

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, सिवान अंचल, सिवान/वन प्रमंडल पदाधिकारी, मोतीहारी वन प्रमंडल, मोतीहारी एवं श्री सिद्धार्थ सिंह, पिता-अनिल सिंह, ग्राम+पो.-बनकटवा, थाना-जितना, जिला-पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




(सुरेन्द्र सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)  
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),  
बिहार, पटना।



## Proforma

|    |   |   |             |                        |                   |      |
|----|---|---|-------------|------------------------|-------------------|------|
| 1  | Name of Regional Office   | Eastern Region, Ranchi                                    |             |                        |                   |      |
| 2  | State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates                                       | Bihar/East Champaran/ Motihari Forest Division, Motihari. |             |                        |                   |      |
| 3  | Name of User Agency nature of proposal  | Shree Sidharth Singh/ HPCL Retail Outlet                  |             |                        |                   |      |
| 4  | Extent of forest area involved  | 0.0060 Ha.  |             |                        |                   |      |
| 5  | Whether Original, or extension  | Original  |             |                        |                   |      |
| 6  | If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify | -NA-  |             |                        |                   |      |
| 7  | Date of 1st stage Clearance   | 05.03.2020  |             |                        |                   |      |
| 8  | <b>Extent of CAMPA charges head wise viz.</b>   |   |             |                        |                   |      |
|    | a. Compensatory Afforestation   | 9,18,745/-  |             |                        |                   |      |
|    | b. Additional CA  | -NA-  |             |                        |                   |      |
|    | c. Penal CA   | -NA-  |             |                        |                   |      |
|    | d. Catchment Area Treatment   | -NA-  |             |                        |                   |      |
|    | e. Wildlife Management Plan   | -NA-  |             |                        |                   |      |
|    | f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas                | -NA-  |             |                        |                   |      |
|    | g. Net present Value  | 5,747/-   |             |                        |                   |      |
|    | h. Penal NPV  | -NA-  |             |                        |                   |      |
| 9  | Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph                          | S.No  | MODE Remtt. | Transaction No. & Date | Amount            | Head |
|    |   | 1   | e-          | IDIBR52026011649825068 | 5,747/-           | NPV  |
|    |   | 2   | challan     | dated 16.01.2026       | 9,18,745/-        | CA   |
|    |   | <b>Total-</b>   |             |                        | <b>9,24,492/-</b> |      |
| 10 | Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance                            | As above.   |             |                        |                   |      |
| 11 | Bank in which deposited, with date of deposition.   | All above sent to Union Bank of India on dt. 16.01.2026   |             |                        |                   |      |
| 12 | Any other remarks   |   |             |                        |                   |      |



(Surendra Singh)

Signature of APCCF (CAMPA)-  
cum-Nodal Officer (FC), Bihar.

दिनांक- 27/01/2026

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),  
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार

विषय : श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत ग्राम- धुधुआ के खाता संख्या-60, खेसरा संख्या-637, 638, अंचल-घोड़ासहन में नहर चौक-बनकटवा-घोड़ासहन पथ के HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.0060 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/BR/Others/32677/2028/3849 दिनांक 05.03.2020 द्वारा अधिरोपित शर्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है जिसका अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ:-

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा।
2. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 9,18,745.00 को मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, Account No.-1506219932677069, BIHAR CAMPA, Union Bank of India में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 16.01.2026 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.-IDIBR52026011649825068 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है (संलग्न)।
- 3 (a) NPV के मद में मेरे द्वारा 0.0060 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल रु० 5,747/- को बिहार राज्य के लिये निर्धारित Account No.-1506219932677069, BIHAR CAMPA, Union Bank of India में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 16.01.2026 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.-IDIBR52026011649825068 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
- (b) प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
4. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को RTGS के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर Union Bank of India, Bengaluru के खाता में दिनांक 16.01.2026 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
5. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
6. जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
- 7.(a) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (b) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (c) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
8. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
9. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।



10. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- 11.(a) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।  
(b) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
12. मेरे द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
13. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
14. मेरे द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry ds Website-  
<http://parivesh.nic.in> पर अपलोड कर दिया गया है।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०—यथोक्त

विश्वासभाजन

*Sidharth Singh.*

(सिद्धार्थ सिंह) 27/01/2026

पिता—अनिल सिंह,

ग्राम+पो.—बनकटवा, थाना—जितना,

जिला—पूर्वी चम्पारण।

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 28-11-2025

|                  |   |
|------------------|---|
| Agency Name.     | SIDHARTH SINGH  |
| Application No.  | 19932677069   |
| MoEF/SG File No. | FP/BR/OTHERS/32677/2018   |
| Location.        | BIHAR   |
| Address.         | AT+Po Bankatwa PS Jitna<br>Dist. East Champaran East<br>Champaran |
| Amount(in Rs)    | 924492/-  |

Amount in Words : Nine Lakh Twenty-Four Thousand Four Hundred and Ninety-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

|                      |  |
|----------------------|--|
| Beneficiary Name:    | BIHAR CAMPA  |
| IFSC Code:           | UBIN0996335  |
| Pay to Account No.   | 1506219932677069<br>Valid only for this<br>challan amount.   |
| Bank Name & Address: | Union Bank Of India<br>FCS Centre, 21/1, III Floor,<br>Jelitta Towers, Mission<br>Road, Bengaluru-560027 |

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 28-11-2025

|                  |   |
|------------------|---|
| Agency Name.     | SIDHARTH SINGH  |
| Application No.  | 19932677069   |
| MoEF/SG File No. | FP/BR/OTHERS/32677/2018   |
| Location.        | BIHAR   |
| Address:         | AT+Po Bankatwa PS Jitna<br>Dist. East Champaran East<br>Champaran |
| Amount(in Rs)    | 924492/-  |

Amount in Words : Nine Lakh Twenty-Four Thousand Four Hundred and Ninety-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

|                      |  |
|----------------------|--|
| Beneficiary Name:    | BIHAR CAMPA ✓  |
| IFSC Code:           | UBIN0996335  |
| Pay to Account No.   | 1506219932677069<br>Valid only for this<br>challan amount.   |
| Bank Name & Address: | Union Bank Of India<br>FCS Centre, 21/1, III Floor,<br>Jelitta Towers, Mission<br>Road, Bengaluru-560027 |

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

IDDB R52026011649825068





**समाहरणालय पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी**  
(जिला सामान्य शाखा)  
(प्रमाण-पत्र)

प्रमाण-पत्र ..... / सा।०, शाखा, दिनांक- ..... /


अंचल अधिकारी, घोड़ासहन के पत्रांक-94, दिनांक- 20.02.2019 के आलोक में प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत प्रयोक्ता ऐंजेसी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, लिमिटेड द्वारा रैखिक परियोजना तालुका घोड़ासहन में नहर चौक-बनकटवा-घोड़ासहन पथ किनारे अवस्थित वन भूमि (खाता संख्या- 60, खेसरा सं- 637 एवं 638, रकबा- 0.0060 हेक्टेयर के अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता ऐंजेसी के आवेदन पर वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक- 802/ दिनांक- 20.07.2018 द्वारा वनाधिपार अधिनियम 2006 (FRA, 2006) प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा किया गया है।

तदालोक में उक्त प्रस्ताव के आलोक में प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताविक रैखिक परियोजना के लिए अपयोजित होने वाली भूमि पर अधिष्ठित स्थापन दिनांक- 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्ष से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिष्ठित किया गया है। इस रिटेल आउटलेट (विट्रॉल पम्प) खुलने से अनुसूचित जन-जाति की आबादी प्रभावित नहीं होगी।

६०

जिला दण्डाधिकारी  
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

**Cirtified that forest land proposed to be diverted is a plantation which was notified as forest less than 75 years prior to the 13<sup>th</sup> day of December-2005 and is located in village having no recorded village having no recorded population of scheduled**

  
 District Magistrate  
 and Office seal.  
**जिलाधिकारी**  
 पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी